

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ 7(4) प्रवेश नीति/अकाद/आकाशि/2024/03395 पार्ट-3

प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषय:- स्नातक पार्ट प्रथम (सेमेस्टर-1) में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में प्रवेश के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 में विभिन्न महाविद्यालयों में कुछ दिव्यांग/कोरोना मृतक आश्रित आवेदित विद्यार्थी फीस 0.00 रुपये का चालान ई-मित्र से नहीं कटवाने पर प्रवेश से वंचित रह गये थे। इन दिव्यांग/कोरोना मृतक आश्रित विद्यार्थियों द्वारा फीस 0.00 का चालान दिनांक 07.11.2024 से 14.11.2024 तक ई-मित्र पर भरकर महाविद्यालय में जमा कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही प्राचार्यों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश प्रक्रिया में हुये विलम्ब के कारण शिक्षण कार्य में आये व्यवधान से कार्य दिवसों की क्षतिपूर्ति के लिए प्राचार्य अपने स्तर पर अतिरिक्त कक्षाएँ लगवाकर अकादमिक सत्र में शैक्षणिक कार्य दिवस पूर्ण करवाया जाना सुनिश्चित करें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(प्रो विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
5. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन प्रवेश, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने हेतु।

(प्रो विजय सिंह जाट)
संयुक्त निदेशक, (अकादमिक)

General Letter Admission



Signature valid

Digitally signed by Vija Singh Jat
Designation: Joint Director
Date: 2024.11.05 15:01:38 IST
Reason: Approved